बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना–23, दिनांक 20/09/2022

सं0–02/स्था0–21–01/2022/4598 भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग का गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. ***संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार।–***

(क) यह नियमावली ''बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली–2022'' कही जा सकेगी।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ग) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. ***परिभाषाएँ।–***

जबतक इस विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई अन्यथा न हो, इस नियमावली के प्रयोजन हेतु,

(क) ''आयोग'' से अभिप्रेत है ''बिहार लोक सेवा आयोग'';

(ख) ''वेतन स्तर'' से अभिप्रेत है विर्निदिष्ट कोई वेतन स्तर;

(ग) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है ''प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री'';

(घ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है ''बिहार के राज्यपाल'';

(ङ) ''राज्य सरकार या सरकार'' से अभिप्रेत है ''बिहार का राज्य सरकार'';

(च) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है ''वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक'' की अवधि;

(छ) ''वर्ष के अंदर रिक्ति'' से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्यूत किये जाने से उपलब्ध रिक्ति;

(ज) ''विभाग'' से अभिप्रेत है ''आपदा प्रबंधन विभाग'';

(झ) ''विभागीय प्रोन्नति समिति'' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा समय–समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति;

(ञ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है ''बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा'';

(ट) ''सेवा का सदस्य'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन ''बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा'' में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति;

(ठ) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है'' बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग'';

(ङ) ''संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार'' से अभिप्रेत है'' अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग''।

3. *सेवा का गठन एवं पदों का वर्गीकरण।–*

(क) इस अधिसूचना के निर्गत की तिथि से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा का गठन किया जाता है।

(ख) सेवा की संरचना निम्नवत् होगीः–

पदनाम	प्रास्थिति	अभ्युक्ति
सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	राजपत्रित	मूल कोटि
उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	राजपत्रित	प्रथम प्रोन्नति
आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	राजपत्रित	द्वितीय प्रोन्नति

(ग) सेवा के विभिन्न कोटि के पदों की संख्या वही होगी जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(घ) सेवा के विभिन्न कोटि के पदों को वही वेतनमान/वेतन–स्तर अनुमान्य होगा जैसा समय–समय पर राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाय।

4. *रिक्तियों का अवधारण एवं आयोग को इसकी सूचना।–*

विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के आधार पर 1ली अप्रैल को मूल कोटि के पद की आरक्षण कोटि वार रिक्तियों की गणना की जायेगी तथा आयोग को आरक्षण कोटिवार अधियाचना प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. *आरक्षण।–*

इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।

6. *उम्र सीमा।–*

सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

7. *कालावधि।–*

सेवा के उच्चत्तर पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी, जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

8. *मूल कोटि के पद पर नियुक्ति।*–

(क) मूल कोटि के पद पर नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के अनुरूप सीधी भर्त्ती से की जायेगी।

(ख) आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि धारण करना आवश्यक होगा।

(ग) मूल कोटि में प्रथम पदस्थापन सहायक आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के पद पर होगा।

9. *प्रथम प्रोन्नति पदक्रम।*–

प्रथम प्रोन्नति स्तर के पदों को मूल संवर्ग के पदाधिकारियों, जो केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो तथा जिनकी सेवा संपुष्ट हो, से प्रोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा। यह पद वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

10. *द्वितीय प्रोन्नति पदक्रम।*–

द्वितीय प्रोन्नति स्तर के पदों पर वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

11. *विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना।*–

विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

12. *परिवीक्षा।*–

(क) सीधी भर्त्ती से नियुक्त होनेवाला प्रत्येक पदाधिकारी पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(ख) परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर पदाधिकारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर, सरकार परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी, यदि प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा सुधार की सम्भावना है। विस्तारित अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ग) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

(घ) विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा किया जा सकेगा।

13. *प्रशिक्षण*।–

नवनियुक्त पदाधिकारियों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना होगा। प्रशिक्षण की अवधि तथा अन्य प्रावधान संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार द्वारा विनियमावली के माध्यम से किया जा सकेगा।

14. *सम्पुष्टि*।–

परिवीक्षा पर नियुक्त पदाधिकारी को अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ–साथ संतोषप्रद ढ़ंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने तथा अपेक्षित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

15. *वरीयता*।–

इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगी।

16. *नियंत्रण*–

(क) इस संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन होगा।

(ख) इस सेवा के सदस्यों पर परिचालनात्मक नियंत्रण संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रमण्डलीय आयुक्त, जिस जिले/प्रमण्डल में तत्समय पदस्थापित हों, का होगा।

17. *विनियम बनाने की शक्ति*।–

इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगी।

18. *विसंगतियों/शंकाओं का निराकरण*।–

इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विसंगतियों/शंकाओं के निराकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

19. *अवशिष्ट मामले*।–

इस नियमावली से अनाच्छादित शेष मामलों, जिनके संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, के संदर्भ में सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर समान स्तर के कर्मियों के लिए निर्गत सुसंगत नियमावलियों, आदेशों तथा परिपत्रों आदि से शासित होंगे।

20. *<u>निरसन एवं व्यावृति।</u>–*

इस नियमावली के पूर्व निर्गत एतद्संबंधी सभी नियमावली/निर्देश आदि निरसित समझे जाएंगे। ऐसे निरसन के बावजूद प्रासंगिक नियमावली/निर्देश आदि के तहत किए गए कार्य एवं की गई कार्रवाई इस नियमावली के तहत किए गए कार्य समझे जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/9

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव

Govt. of Bihar

Disaster Management Department

Notification

Patna-23 Dated- 20/09/2022

No.-02/Estt.-21-01/2022/...4598/ In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, hereby please to make the following rules to constitute the Bihar State Disaster Management Service Cadre, its recruitment procedures & to regulate its Service conditions, as follows:-

1. Short title, Extent and Commencement:-

(i) This rule may be called as "Bihar State Disaster Management Service Cadre Rules, 2022"

(ii) It shall extend to the State of Bihar.

(iii) It shall be effective from the date of notification.

2. Definitions:-

Unless referred otherwise, requires in the subject or contexts in these rules,

(i) "COMMISSION" means Bihar Public Service Commission.

(ii) "PAY LEVEL" means any specified pay level.

(iii) "APPOINTING AUTHORITY" means Departmental Minister through Principal Secretary/Secretary.

(iv) "GOVERNOR" means the Governor of Bihar.

(v) "STATE GOVERNMENT" or "GOVERNMENT" means Government of Bihar.

(vi) "YEAR" means the Financial Year beginning from 1st April to 31st March of the next year.

(vii) "VACANCY WITHIN YEAR" means created new posts for the service, accrued of vacancy by virtue of retirement. death, dismissal or discharge from the service.

(viii) "DEPARTMENT" means Disaster Management Department.

(ix) "DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE" means Departmental Promotion Committee constituted by the Government from time to time.

(x) "SERVICE" means Bihar State Disaster Management Service.

(xi) "MEMBER OR MEMBER OF THE SERVICE" means person working under this Service or appointed within this Service, under the provision of this rule.

(xii) "CADRE" means Bihar State Disaster Management Service Cadre.

(xiii) "CADRE CONTROL AUTHORITY" means Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Disaster Management Department.

3. **Constitution of Service and Classification of Posts:-**

(a) The Bihar State Disaster Management Service is constituted from the date of issue of this notification.

(b) **Structure of service shall be as follows:-**

POSTS	NATURE OF POST	REMARKS
Assistant Disaster Management Officer	Gazetted	Basic grade
Deputy Disaster Management Officer	Gazetted	1st Promotional Stage
Disaster Management Officer	Gazetted	2nd Promotional Stage

(c) Sanctioned Strength for different levels/grades of this Service will be same as approved by the State Government from time to time.

(d) Pay Scale/Pay Level for different categories of posts in this Service will be same as approved by the Finance Department, Government of Bihar, from time to time.

4. **Calculation of vacancies and its information to the Commission:-**

Based upon the vacancies as existed on 31st March in Basic Grade, the reservation category wise vacancies in Basic Grade post will be calculated on 1st April every year and reservation category wise requisition will be made available to the Commission by 30th April each year. The Commission, after selection of candidates on the basis of Combined Competitive Examination, will send reservation category wise recommendation to the Department for their appointment.

5. Reservation Provision:-

Provision of reservation shall be applicable to this Service as decided by the government from time to time for Recruitment and Promotion.

6. Age Limit:-

The minimum age of a candidate for direct recruitment shall not be less than 21 years as on 1st August of the Year in which the applications for recruitment are invited. The maximum age limit will be in accordance with the provisions prescribed by the General Administration Department, Government of Bihar from time to time.

7. Duration:-

Minimum time period for promotion to higher posts of the Service will be same as may be fixed by the General Administration Department, Government of Bihar, from time to time.

8. Appointment on Basic Grade Posts:-

(a) Appointment to the Basic Grade Posts will be done by direct recruitment as per the recommendations received from the Commission on the basis of the results of the Combined Competitive Examination conducted by the Commission.

(b) The applicant must have a graduation or equivalent degree from a recognized University

(c) The first posting in the Basic Grade will be made on the post of Assistant Disaster Management Officer.

9. First Promotion Grade:-

The posts of the First Promotion level will be filled by way of promotion from the officers of Basic Grade, who have passed the departmental examination conducted by the Central Examination Committee, Board of Revenue and whose service is confirmed. This post will be filled by way of promotion on seniority cum merit basis as recommended by the Departmental Promotion Committee.

10. Second Promotion Grade:-

The posts of the Second Promotion level will be filled by way of promotion on seniority cum merit basis as recommended by the Departmental Promotion Committee.

11. Composition of the Departmental Promotion Committee:-

The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department by a separate order.

12. Probation –

(a) Every officer appointed by way of direct recruitment shall be on Probation for a period of two years from the date of joining.

(b) On completion of probation period, the Government may extend the period of probation for one more year if the conduct and service of the officer is not found satisfactory provided that there is a possibility of improvement in the conduct and service of the officer. The service may be terminated if the conduct and service is not found satisfactory even in the extended probation period.

(c) After the first increment after appointment, the next increment will be admissible only after passing the prescribed departmental examination.

(d) Subjects, Syllabus and formulation of procedure and conduct of the departmental examination and examination shall be done by the Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar.

13. Training:-

Newly appointed officers will have to complete the training prescribed by the Department. The duration of training and other provisions will be formulated through regulations made by the Cadre Controlling Authority.

14. Confirmation:-

An officer appointed on probation may be confirmed in service on completion of requisite training as well as satisfactory completion of period of probation and passing the requisite departmental examination.

15. Seniority:-

The seniority of the Member of this Service will be determined in accordance with the principals and procedure laid down by the General Administration Department, Government of Bihar from time to time.

16. Control:-

(a) Administrative control over the members of this cadre will be vested with Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Disaster Management Department.

(b) The operational control over the members of this service will be vested with the concerned District Magistrate/Divisional Commissioner of the district/division in which the officer is posted for the time being.

17. Power to make regulations:-

In order to give effect to the provisions of this rule, the Department may make necessary regulations.

18. Redressal of discrepancies/doubts

The power to resolve all discrepancies/doubts relating to the implementation of the provisions of this rule will be vested in the State Government.

19 Residual case:-

In respect of the remaining matters which are not covered within ambit of this rule, in respect of which no specific provision has been made in this rule, the members of the Service shall be governed by the relevant rules, orders and circulars etc. of the State Government issued from time to time for the employees of the same category.

20. Repeal and Saving:-

All rules/instructions, etc., in this regard issued prior to this rule shall be deemed to have been repealed. Notwithstanding such repeal, any work done and action taken under the relevant rules/instructions etc. shall be deemed to have been done under these rules.

By order of the Governor of Bihar,

20/9

(Sanjay Kumar Agarwal)
Secretary